सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 19 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–30.01.2024

1. रेखा बाई पत्नी दुर्गालाल जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 21 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 788 ख.सं. 3783 रकबा 0.1133 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1133 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली पटवार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. में विस्थित है, जो प्रार्थीया की सहखातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीया उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करना चली आ रही है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम रेणी बाई दर्ज हो रहा है। प्रार्थीया का नाम रेखा बाई, जो प्रार्थीया के सभी दस्तावेज में दर्ज है, परन्तु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम रेणी बाई दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को विभिन्न समस्या आ रही है, तथा प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि पर के0सी0सी ऋण व अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रही है, तथा उक्त अन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचाना पत्र, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम रेखा बाई अंकित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का नाम रेणी बाई दर्ज हो रहा है, जो अवैध व निरस्तनीय योग्य है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम रेणी बाई को दुरूस्त किया जाकर उक्त स्थान पर रेखा बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

05.01.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम रेणी बाई के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम रेखा बाई दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम रेखा बाई दर्ज करवावे। भूमि ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 788 रकबा 0.1133 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1133 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली पटवार हिण्डोली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम रेणी बाई के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर रेखा बाई दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/2109 दिनांक :–11.07.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम हिण्डोली के खाता संख्या 698 में प्रार्थीया का नाम रेणीबाई पत्नी दुर्गालाल दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बर में दर्ज रेणीबाई पत्नी दुर्गालाल व रेखाबाई पत्नी दुर्गालाल एक ही महिला के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज रेणीबाई पत्नी दुर्गालाल के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम रेखा बाई पत्नी दुर्गालाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त नाम विक्रय पत्र के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम रेखाबाई पत्नी दुर्गालाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, भारत निवार्चन पहचान कार्ड, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थीया का नाम रेखाबाई पत्नी दुर्गालाल दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली के खाता संख्या 698 पुराना 788 में दर्ज रेणीबाई पत्नी दुर्गालाल के स्थान प्रार्थीया का सही नाम रेखा बाई पत्नी दुर्गालाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 21.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

21/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)